कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

संख्या : /प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक–2/ई–15/स्थानान्तरण–2026 दिनांक: 30/5/ 2026

:–कार्यालय ज्ञाप–:

इस कार्यालय के ज्ञाप संख्याः 3600/प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक–2/स्थानान्तरण–2025, दिनांक 09.06.2025 द्वारा सिंचाई खण्ड कालसी के दुर्गम क्षेत्र में स्थापित 03 उपखण्ड क्रमशः त्यूनी, चकराता, कोटी जो कैम्प कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, कालसी (अम्बाड़ी) के परिसर के अन्तर्गत संचालित किये जा रहे थे, में कार्यरत मिनिस्ट्रीरियल कर्मचारीगणों की सेवायें सुगम क्षेत्र में आंगणित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे। वर्तमान में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड कालसी ने अपने पत्र संख्याः 1806/सिं0ख0का0/ई–01, दिनांक 27.05.2026 द्वारा उपखण्ड त्यूनी, चकराता, कोटी को दुर्गम क्षेत्रान्तर्गत वर्गीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, कालसी के उक्त पत्र दिनांक 27.05.2026 के क्रम में इस कार्यालय के उक्त ज्ञाप संख्याः 3600 /प्र0अ0/सिं0वि0 /कार्मिक–2/स्थानान्तरण–2025, दिनांक 09.06.2025 को निरस्त करते हुए, सिंचाई खण्ड कालसी के अन्तर्गत स्थापित उपखण्ड त्यूनी, चकराता, कोटी में कार्यरत मिनिस्ट्रीरियल कार्मिकों की नियमित सेवायें पूर्व से ही दुर्गम क्षेत्र के अन्तर्गत आंगणित किये जाने के आदेश एतद्द्वारा निर्गत किये जाते है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

(सुभाष चन्द्र)
प्रमुख अभियन्ता

संख्या : 3080 /प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक–2/ई–15/जी0/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव (सिंचाई) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–।।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
5. गार्ड फाईल हेतु।

29/5/26

(सुभाष चन्द्र)
प्रमुख अभियन्ता

D/Ravish kandwal/office order

Scanned with OKEN Scanner